कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र.

विन्ध्याचल भवन, भोपाल - 462004
(ई-मेलः-rcs.audit@mp.gov.in, दूरभाष नम्बर 0755-2551098)

क्रमांक/अंके./2/2020/890 भोपाल, दिनांक 03/11/2020

आदेश

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1)(ख) एवं नियम 50 के तहत प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा वर्ष 2020-21 एवं आगामी वर्षों के लिये संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म की योग्यता एवं अनुभव तथा वरिष्ठता निर्धारण के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/अंके./2/307 दिनांक 08.05.2020 एवं क्रमांक 380 दिनांक 04.06.2020 से जारी मापदंडों को यथा संशोधित किया जाकर संलग्न परिशिष्ट अ,ब एवं स अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(डॉ.एम.के.अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, म.प्र.

क्रमांक/अंके./2/2020/890 भोपाल, दिनांक 03/11/2020

प्रतिलिपिः-

1) प्रमुख सचिव, सहकारिता, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2) प्रबंध संचालक, समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश।
3) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
4) सचिव, प्रोफेशनल डवलपमेंट कमेटी, दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट ऑफ इंडिया पोस्ट बाक्स नं. 7100 इन्द्रप्रस्थ मार्ग नई दिल्ली-11002
5) संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (समस्त), मध्यप्रदेश।
6) उप/सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (समस्त) मध्यप्रदेश।
7) महाप्रबंधक/प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक समस्त, मध्यप्रदेश।
8) महाप्रबंधक/प्रबंधक,जिला सहकारी कृषि और ग्रा.वि. बैंक(समस्त)मध्यप्रदेश।
9) प्रबंधक, जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (समस्त) मध्यप्रदेश।
10) प्रबंधक, नागरिक सहकारी बैंक, (समस्त) मध्यप्रदेश।
11) प्रबंधक, जिला वनोपज सहकारी संघ, (समस्त) मध्यप्रदेश।
12) प्रबंधक, जिला सहकारी संघ, (समस्त) मध्यप्रदेश।
13) प्रबंधक, विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्थाएं, (समस्त) मध्यप्रदेश।

संभागीय एवं जिला अधिकारी तथा शीर्ष एवं केन्द्रीय संस्थाओं के प्रबंधक संबद्ध प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को उपरोक्तानुसार संसूचित करें।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

प्रारूप - 01 परिशिष्ट-'अ'

(1)

(सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1) (ख) एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 50 के तहत कार्यालयीन पत्रांक अंके/02/2020/890 दिनांक 03/11/2020 से सहकारी संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की योग्यता एवं अनुभव तथा संस्थाओं के वर्गीकरण का पत्रक)

श्रेणी - क

संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म		योग्यता एवं अनुभव	संस्थाओं का विवरण
संपरीक्षक फर्म	1.पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm)	1. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो। 2. फर्म में न्यूनतम 5 एफसीए/एसीए अनन्य रूप से (Exclusively) पार्टनर होना चाहिये जिसमें से न्यूनतम 2 पार्टनर का फुल टाईम एफसीए होना आवश्यक है। 3. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक।	1. समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक। 2. 15 करोड से अधिक अग्रिम वाले नागरिक बैंक। 3. 100 करोड से अधिक कारोबार (Bussiness) करने वाली अन्य संस्थाएं।
संपरीक्षक -	विभागीय अंकेक्षक (प्रभारी अंकेक्षक,अंकेक्षण अधिकारी)	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।	

श्रेणी – ख

परिशिष्ट–'अ'–

2

संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म		योग्यता एवं अनुभव	संस्थाओं का विवरण
संपरीक्षक फर्म	1.पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm)	1. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 07 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो। 2. फर्म में न्यूनतम 3 एसीए/एफसीए अनन्य रूप से (Exclusively) पार्टनर होना चाहिये जिसमें से न्यूनतम 1 पार्टनर का फुल टाईम एफसीए होना आवश्यक है। 3. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक।	1)10 करोड से अधिक 100 करोड तक कारोबार (Bussiness) करने वाली समस्त संस्थाएं। 2) नागरिक सहकारी बैंक जिनका 15 करोड तक अग्रिम (Advances) शेष रहा है।
संपरीक्षक	विभागीय अंकेक्षक (प्रभारी अंके., अंके.अधि./व.स.नि.)	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।	

श्रेणी –ग

परिशिष्ट–'अ'

संपरीक्षक का विवरण		योग्यता एवं अनुभव	संस्थाओं का विवरण
संपरीक्षक फर्म	1.पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm)	1. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो। 2. फर्म में न्यूनतम 2 एसीए/एफसीए अनन्य रूप से (Exclusively) पार्टनर होना चाहिये पार्टनर होना आवश्यक है जिसमें से न्यूनतम 1 पार्टनर का फुल टाईम एफसीए होना आवश्यक है। 3. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक।	10 करोड तक कारोबार (Bussiness) करने वाली समस्त सहकारी संस्थाएं।
	2. प्रोपराईटरी फर्म (Proprietary Firm)	1. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो। 2. फर्म में न्यूनतम 01 सनदी लेखापाल (FCA) होना आवश्यक है। 3. प्रोपराईटर का अनन्यहोना आवश्यक है। 4. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक।	
संपरीक्षक	सनदी लेखापाल (Individual Practising F.C.A)	1. सनदी लेखापाल अधिनियम 1949 के तहत सनदी लेखापाल जिसका मुख्यालय म.प्र. में हो। 2. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो। 3. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक।	
	विभागीय अंकेक्षक (प्रभारी अंके.–अंके. अधि./व.स.नि./सह. निरी./उप अंके.)	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।	

परिशिष्ट–'अ'–

नोट :–1. श्रेणी–क में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म श्रेणी–ख एवं ग में वर्गीकृत संस्थाओं का भी अंकेक्षण कर सकेंगी।

2. श्रेणी–ख में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म ख एवं स श्रेणी में वर्गीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण कर सकेंगे।

3. श्रेणी–ग में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म केवल श्रेणी–सी में वर्गीकृत संस्थाओं का ही अंकेक्षण कर सकेंगे।

4. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा नागरिक सहकारी बैंकों की वैधानिक संपरीक्षा के लिये सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को न्यूनतम 3 वर्ष का वाणिज्य बैंकों के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव तथा फर्म में न्यूनतम एक **DISA/CITA** प्रमाण पत्र धारी सनदी लेखापाल होना आवश्यक है।

5.संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक का आवेदन उनके मुख्यालय म. प्र. में होने पर ही स्वीकार्य होगें।

परिशिष्ट–ब

सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों के म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की पेनल वर्ष 2020–21 हेतु नियम एवं शर्तें

1. सनदी लेखापाल फर्म एवं सनदी लेखापाल का मुख्यालय, म.प्र. में होना अनिवार्य होगा। उक्त शर्त पूर्ण होने पर ही आवेदन स्वीकार्य होगा।
2. किसी संपरीक्षक फर्म के पार्टनर एवं एसोसियेटस सदस्य तथा (Individual C.A.) संपरीक्षक द्वारा किया गया आवेदन किसी अन्य फर्म में पार्टनरशिप अथवा ऐसोसियेशन होने पर एक ही आवेदन स्वीकार होगा। उक्त स्थिति में प्राप्त प्रथम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा।
3. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962, संस्था की उपविधि, पंजीयक/आरबीआई/नाबार्ड तथा संस्था से संबंधित अन्य प्रशासकीय/वैधानिक निर्दिष्ट व्यवस्था एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. किसी संस्था से राशि रू.10000/– या उससे अधिक ऋण प्राप्तकर्ता (सनदी लेखापाल/प्रोफेशनल स्टाफ) को संस्था की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी।
5. पूर्व वर्षों में प्रदेश की सहकारी संस्थायों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा में यदि तथ्य संज्ञान में आते हैं कि संपरीक्षक फर्म द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा निर्दिष्ट परिपत्रीय व्यवस्था एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में– निर्धारित प्रारूप में वित्तीय पत्रक एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने, अपेक्षित व्यवसायिक दक्षता एवं विवेकपूर्ण विवेचना में असफल रहने, वित्तीय पत्रकों में विवेकपूर्ण मापदंडों(अनुपयोज्य आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण तथा आय अभिज्ञान), सहकारिता अधिनियम की धारा 43, 43 क एवं 44 का पालन सुनिश्चित न कराने का दोषी पाया जाता है तो संपरीक्षक फर्म का आवेदन पेनल हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट–ब

6. **यदि सक्षम अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कार्य में नियम व प्रक्रिया विरुद्ध आचरण किया गया है तथा सोसायटी के क्रियाकलापों, अनियमितता, गबन, कपटपूर्ण आचरण को छुपाया गया है या छुपाने में सहायक रहा है तो उस सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल का नाम संबंधित पैनल से हटाते हुए निलम्बित/ब्लेक लिस्ट/निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल को पेनल में से हटाने/निलंबित करने का रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा।**

7. सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में संस्था के समस्त कार्यकलापों का परीक्षण कर तथ्यात्मक टीप अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी।

8. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को पंजीयक द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा आमंत्रित बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

9. किसी भी संस्था में अंकेक्षण कार्य के समय न्यूनतम 1 सनदी लेखापाल का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्राधिकृत संपरीक्षक एवं अधीनस्थ अमला अपनी पहचान के परिचय पत्र अंकेक्षण के दौरान अपने पास रखेंगें।

10. प्राधिकृत संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 87 के प्रावधान के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु लोक सेवक समझे जायेगे।

11. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को संपरीक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त गंभीर अनियमितताओं के संबंध में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (ख) के तहत विशेष प्रतिवेदन पंजीयक को पृथक से प्रस्तुत करना होगा।

12. संस्था में नियुक्त संचालक, सलाहकार या स्थायी अथवा संविदा के रूप में कार्यरत सनदी लेखापाल फर्म के अधिकारी/कर्मचारी उक्त संस्था की वैधानिक संपरीक्षा हेतु अपात्र होंगे।

13. अंकेक्षण आवंटन आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस में संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को पंजीयक कार्यालय को संसूचित करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–ब

14. 1. श्रेणी–क में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म श्रेणी–ख एवं ग में वर्गीकृत संस्थाओं का भी अंकेक्षण कर सकेंगी।

    2. श्रेणी–ख में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म श्रेणी–ग में वर्गीकृत संस्थाओं का भी अंकेक्षण कर सकेंगी।

    3. श्रेणी–ग में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म केवल श्रेणी–ग में वर्गीकृत संस्थाओं का ही अंकेक्षण कर सकेंगी।

    4. किसी भी सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल को 01 वित्तीय वर्ष में 5 से अधिक संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी। जिसमें 01 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, 01 शीर्ष संस्था अधिकतम हो सकती है।

15. म.प्र.राज्य सहाकरी शीर्ष बैंक, जिला सहकारी बैंकों तथा नागरिक सहकारी बैंकों की संपरीक्षा के लिये सनदी लेखापाल को न्यूनतम 3 वर्ष का वाणिज्य बैंकों के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव तथा फर्म में न्यूनतम एक डीसा/सीसा प्रमाण पत्र धारी सनदी लेखापाल होना आवश्यक है।

16. किसी संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को किसी संस्था की निरंतर दो वर्ष से अधिक वर्ष की संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी। किसी सहकारी संस्था के आंतरिक/सतत् अंकेक्षक को उसी संस्था की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी।

17. अधिनियम की धारा 58 (1)(ड) के तहत पंजीयक द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन परीक्षित किये जाने के पश्चात म.प्र.शासन की अधिसूचना में उल्लेखित दरों के आधार पर लेव्ही आदेश जारी होने के उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा।

18. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को म.प्र.सहकारी सोसायटी नियम क. 50(15) के प्रावधान के तहत अंकेक्षण टीप एवं सहपत्र राज्यभाषा हिन्दी में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यदि पंजीयक द्वारा किसी वर्ग की संस्था के लिये कोई संपरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप जारी किया गया है तो उस प्रारूप में ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रतिवेदन कार्यालय में स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे।

19. किसी भी सनदी लेखापाल एवं सनदी लेखापाल फर्म को 05 से अधिक संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी।

20. किसी भी संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को पैनल में से हटाने, संशोधन करने अथवा सम्मिलित करने का अंतिम निर्णय रजिस्ट्रार का होगा।

21. अधिनियम की धारा 58 एवं नियम 50 (5 एवं 6) के तहत संपरीक्षा के संचालन प्रक्रिया के तहत संपरीक्षा कार्य की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक अधिकारिता जिला/संभाग/मुख्यालय के सक्षम अधिकारियों को दी गई है। सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल अंकेक्षण कार्य के लिये उक्त अधिकारिता के तहत निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

सनदी लेखापाल एवं सनदी लेखापाल फर्मों की पेनल वर्ष 2020-21 के लिये वरिष्ठता मापदंड

परिशिष्ट-'स'-

1

मापदण्ड	अधिकतम अंक
1. फर्म में अनन्यरूप से पार्टनर एफ.सी.ए./ए.सी.ए. प्रत्येक के लिये 02 अंक	26
2. अंकेक्षण का अनुभव 1. म0प्र0 की शीर्ष बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिये-02 अंक 2. राष्ट्रीयकृत/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/म0प्र0 की शीर्ष सहकारी संस्था एवं नागरिक सहकारी बैंक के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिये- 01 अंक	10
3. सीसा/डीसा प्रमाण पत्र रखने वाले पूर्णकालिक पार्टनर/सनदी लेखापाल सेवायुक्त के लिये प्रत्येक के लिये 02 अंक	6
4. पंजीयन की अवधि- आई.सी.ए.आई संस्थान से फर्म के पंजीयन की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक	15
5. फर्म के मुख्यालय एवं शाखा कार्यालय के लिये 1. सोसायटी के मुख्यालय वाले जिले पर पर फर्म का मुख्यालय स्थित होने पर-15 अंक 2. सोसायटी के मुख्यालय के जिले पर फर्म की शाखा होने पर 12 अंक 3. सोसायटी का मुख्यालय जिल जिले में है संभागीय जिलों में फर्म का मुख्यालय/शाखा स्थित होने पर- 10 अंक 4. सोसायटी का मुख्यालय जिस जिले में है, उसके निकटतम दूरी के कम में अन्य संभागीय जिलों में फर्म का मुख्यालय/शाखा स्थित होने पर- 08	15
6. फर्म से पार्टनर की संबद्धता के लिये 1. 12 वर्ष से अधिक की संबद्धता वाले प्रत्येक पार्टनर के लिये- 03 अंक 2. 07 वर्ष से अधिक 12 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक पार्टनर के लिये- 02 अंक 3. 02 वर्ष से अधिक 07 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक पार्टनर के लिये- 01 अंक	18

7. फर्म के स्टाफ के लिये 1. प्रत्येक सी.ए. सेवायुक्त के लिये 01 अंक अधिकतम 05 अंक की सीमा में। 2. प्रत्येक *प्रोफेशनल स्टॉफ के लिये 01 अंक अधिकतम 05 अंक की सीमा में	10
	100

*** प्रोफेशनल स्टॉफ मे केवल आर्टिकल एवं जिन की आर्टिकलशिप पूर्ण हो चुकी है परन्तु वे फर्म में कार्यरत हैं केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाना है।**

अंकेक्षण आवंटन की प्रक्रिया

1. सहकारिता अधिनियम की धारा 58 सहपठित धारा 56 एवं नियम 50 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था प्रति वर्ष विभागीय अंकेक्षण अथवा सनदी लेखापाल से अंकेक्षण कराने के विकल्प का आमसभा में चयन कर रजिस्ट्रार को 30 दिवस में सूचित करती है।

2. जिन सहकारी संस्थाओं में शासकीय पूंजी निवेशित है या अभिदाय दिया गया है या प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी गई है या सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया जा रहा है, उन संस्थाओं में वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति अनुमोदित पेनल में से पंजीयक द्वारा की जाती है।

   उदाहरणार्थ – **सनदी लेखापाल फर्म को आवंटित किये जाने वाली संस्थायें (शीर्ष बैंक एवं समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक)**

   सनदी लेखापाल/विभागीय अंकेक्षक को आवंटित किये जाने वाली संस्थायें , (प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें एवं अन्य संस्थायें।)

3. जिन सहकारी संस्थाओं में शासकीय अंशपूंजी इत्यादि निवेशित न होने पर आमसभा द्वारा विभागीय अंकेक्षक से अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया जाता है, उनमें वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति सक्षम विभागीय अधिकारी (रजिस्ट्रार) द्वारा की जाती है।

4. ऐसी संस्थायें जो आमसभा में अंकेक्षण के विकल्प पर कोई निर्णय आमसभा में निर्धारित समयावधि में नहीं कर पाती है अथवा आमसभा के निर्णय को निर्धारित समयावधि (आमसभा दिनांक से 30 दिवस) में सूचित नहीं कर पाती हैं तो ऐसी समस्त संस्थाओं में वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति सक्षम विभागीय अधिकारी (रजिस्ट्रार) द्वारा की जाती है।

5. ऐसी संस्थायें जहां कि शासकीय पूंजी निवेशित नहीं हैं, परन्तु सनदी लेखापाल फर्म से ही अंकेक्षण कराना अनिवार्य है तथा निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा अपनी आमसभा में अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है वहां संस्था स्तर पर सनदी लेखापाल की नियुक्ति संस्था प्रबंधन स्वयं निर्दिष्ट प्रकिया (रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट) के अनुसार करती है।

   <u>उदाहरण – समस्त कार्यशील नागरिक सहकारी बैंक (49)</u>

6. ऐसी संस्थायें जिनकी आमसभा के द्वारा विभागीय अंकेक्षक से अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया जाता है, उनके अंकेक्षकों की नियुक्ति विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रकिया से की जाती है।

7. विभाग अथवा संस्था स्तर से सनदी लेखापाल फर्मों को किये जाने वाले आवंटन के लिये कार्यालयीन पत्रांक/अंके./2/2020/890 दिनांक 03.11.2020 से निर्दिष्ट वरिष्ठता मापदंड **'परिशिष्ट स'** अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार की जावेगी तथा अन्य मापदंडों की पूर्ति होने पर आवंटन किया जावेगा।

<u>आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी</u>

- शीर्ष सहकारी संस्थायें (पंजीयक सहकारी संस्थायें)
- संभागीय सहकारी संस्थायें (संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, संबंधित संभाग म.प्र.)
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें तथा अन्य संस्थायें। (उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें संबंधित जिला म.प्र.)